बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ02-102/2014- 137 | पटना/दिनांक- 10.02.18

पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई-3, बिहार, पटना के पत्रांक 903 दिनांक-06.03.2014 द्वारा श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) पठित धारा 13(1)(e) अन्तर्गत आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं0-13/2014 दिनांक-05.03.2014 दर्ज किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया। उक्त आलोक में विभागीय आदेश सं0-5/आ02-102/2014-347 दिनांक-19.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) (ग) अन्तर्गत श्री सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. आर्थिक अपराध ईकाई-3, बिहार, पटना द्वारा की गयी जांच एवं तलाशी में श्री सिन्हा के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के ठोस साक्ष्य मिले है। श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित यह आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19(2), 19(3) एवं 19(6) के आलोक में गंभीर कदाचार है तथा सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण है। फलत: मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं0-409 दिनांक-28.04.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

3. अपर सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक-वि०का०सं०-44/2014-230 दिनांक-29.06.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध लगे तीन आरोपों में से आरोप सं0-1 एवं 3, जो ज्ञात स्रोतो से अधिक सम्पति अर्जित किये जाने से संबधित है, को प्रमाणित तथा आरोप सं0-2, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 19(2) के उल्लंघन से संबंधित है, को अप्रमाणित बताया गया।

4. जांच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक-472 दिनांक-07.07.2017, विभागीय पत्रांक-524 दिनांक-27.07.17 एवं विभागीय पत्रांक-525 दिनांक-27.07.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

5. आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-17.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी के प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं उनका बचाव बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री व्रजभूषण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. उपरोक्त विभागीय प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्रस्तावित दण्ड पर परामर्श देने हेतु विभागीय पत्रांक 5/आ02-102/2014-905, दिनांक-17.10.2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-05/प्रो0-3-02/2017-(2495)/लो0से0आ0 दिनांक-12.01.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

9. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री व्रजभूषण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ (सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(XI) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी

10. उक्त निर्णय पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

11. उपर्युक्त कंडिका-9 में निहित शास्ति पर मंत्रिपरिषद के दिनांक-06.02.2018 को संपन्न बैठक की मद संख्या-4 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
10/2/18
(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-102/2014- 137 पटना, दिनांक- 10.02.18

Email

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग (वै.दा.नि.को.), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/18
(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक 5/आ02-102/2014 137 पटना, दिनांक- 10.02.18

Email

प्रतिलिपि: सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/घर का पता-फ्लैट नं0-A1/102, जलालपुर सिटी, गंगा ब्लॉक-I, रूप जयपाल पथ, नेली रोड, पटना-801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक 5/आ02-102/2014- 137 पटना, दिनांक- 10.02.18

Email

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 5/आ02-102/2014- 137 पटना, दिनांक- 10.02.18

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव